न्यायालय– अपर सेशन न्यायाधीश, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी	–	**लक्ष्मण राम बिश्नोई (RJS)** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	–	54/2023
CIS संख्या	–	54/2023
CNR संख्या	–	RJMR260001172023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	18/2018 पुलिस थाना– जायल, जिला नागौर
अपराध अंतर्गत धारा	–	332/34, 353/34, 336/34, 324/34, 308/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं 03 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम

भागः– प्रथम

(क)

परिवादी	दलवीर सिंह पुत्र बन्ने सिंह, उम्र–47 साल, निवासी भगतपुरा, पुलिस थाना लोसल, जिला सीकर
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	**1.** बस्तीराम पुत्र सुरजाराम, उम्र–54 साल, **2.** झणकारी पत्नी बस्तीराम, उम्र–52 साल, **3.** अनिल पुत्र बस्तीराम, उम्र–27 साल, सभी निवासीगण मेहरबास, तहसील जायल, जिला नागौर
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री गोविंदराम ढ़ाका

(ख)

घटना की दिनांक	–	26.02.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	–	27.02.2018
आरोप पत्र पेश करने की दिनांक	–	27.03.2018
अपर सेशन न्यायालय सं. 1 नागौर में कमिटल दिनांक	–	09.04.2018
इस न्यायालय में अंतरण दिनांक	–	15.05.2023
आरोप विरचन की दिनांक	–	31.10.2019 एवं 21.11.2019
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	–	09.02.2021
साक्ष्य समाप्ति की दिनांक	–	12.08.2025
निर्णय सुरक्षित दिनांक	–	–
निर्णय दिनांक	–	02.04.2026
सजा आदेश यदि हो तो, दिनांक	–	–

(ग)
अभियुक्त की सूचना

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>नाम</th><th>गिरफ्तारी की दिनांक</th><th>जमानत पर रिहाई की दिनांक</th><th>अपराध अंतर्गत धारा</th><th>दोषमुक्त/दोषसिद्ध</th><th>अधिरोपित सजा</th><th>धारा 428 द.प्र.सं. के तहत समायोजन वास्ते निरुद्ध समयावधि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बस्तीराम</td><td>27.02.2018</td><td>30.03.2018</td><td rowspan="3">332/34, 353/34, 336/34, 324/34, 308/34 IPC एवं 03 PDPP</td><td rowspan="3">धारा 332/34, 353/34, 336/34, 324/34, IPC एवं 03 PDPP में दोषसिद्ध एवं धारा 308/34 IPC में दोषमुक्त</td><td rowspan="3">परिवीक्षा अधिनियम का लाभ</td><td rowspan="3">–</td></tr>
<tr><td>2</td><td>झणकारी</td><td>27.02.2018</td><td>30.03.2018</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अनिल</td><td>11.03.2018</td><td>30.03.2018</td></tr>
</table>

भागः– द्वितीय
अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय गवाह सूची

कः– अभियोजन गवाह

P.W.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
01	दलवीर	परिवादी एवं मजरूब
02	ओमप्रकाश	मौतबीर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द जब्ती वजह सबूत खून, फर्द गिरफ्तारी अनिल, फर्द जब्ती जीप, गेंती, बांस की लाठी, लोहे की कस्सी एवं फर्द नक्शा मौका जब्तीस्थल
03	दुर्गाराम	चश्मदीद गवाह
04	किशोर	चश्मदीद गवाह
05	अनिल कुमार	मजरूब
06	कानाराम	चश्मदीद गवाह
07	अनिल	मजरूब
08	रामरतन	मजरूब
09	मेहराम	मौतबीर फर्द मैकेनिकल मुआयना क्षतिग्रस्त जीप
10	बाबूलाल	मजरूब
11	नवाब खां	मालखान इंचार्ज
12	लक्ष्मणराम	मौतबीर फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अनिल, फर्द जब्ती लोहे की कस्सी, फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल
13	डॉ. रामचंद्र चौधरी	चिकित्सकीय साक्षी
14	रामूराम	चश्मदीद गवाह
15	विमला	चश्मदीद एवं मौतबीर फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता

खः– बचाव गवाह

D.W.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
–	–	–

गः– न्यायालय गवाह

D.W.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजी सूची

कः– अभियोजन दस्तावेज सूची

प्रदर्श पी	विवरण	प्रदर्श पी	विवरण
01	रिपोर्ट	20	पुलिस बयान कानाराम
02	प्रथम सूचना रिपोर्ट	21	नियुक्ति आदेश अनिल
03	पदस्थापन आदेश दलवीर सिंह	22	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता झणकारी
04	नक्शा मौका घटनास्थल	23	फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त जीप
05	फर्द जब्ती वजह सबूत खून	24	कार्यालय आदेश रामरतन
06	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अनिल	25	नियुक्ति आदेश रामरतन
07	फर्द जब्ती वजह सबूत मेजर जीप	26	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
08	फर्द जब्ती बांस की लाठी	27	नियुक्ति आदेश बाबूलाल
09	फर्द जब्ती गेंती	28	स्थानांतरण आदेश बाबूलाल
10	फर्द नक्शा मौका जब्तीस्थल	29 ए	मालखाना रजिस्टर
11	फर्द जब्ती लोहे की कस्सी	30	चोट प्रतिवेदन दलवीर
12	फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल	31	चोट प्रतिवेदन अनिल पुत्र लोडूराम
13	पुलिस बयान दुर्गाराम	32	चोट प्रतिवेदन अनिल पुत्र रामरतन
14	बयान धारा 164 द.प्र.सं. दुर्गाराम	33	चोट प्रतिवेदन जोगाराम
15	पुलिस बयान किशोर	34 व 35	चिकित्सकीय राय
16	बयान धारा 164 द.प्र.सं. किशोर	36	सीटी स्कैन रिपोर्ट
17	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त बस्तीराम	37	सीटी स्कैन एक्स–रे
18	कार्यालय आदेश अनिल कुमार	39	नियुक्ति आदेश विमला
19	नियुक्ति आदेश अनिल कुमार	40	पदस्थापन आदेश विमला

आर्टिकल्स

क्र.सं.	प्रदर्श पी	विवरण
–	–	–

खः– बचाव दस्तावेज सूची

प्रदर्श	विवरण
डी–1	पुलिस बयान मजरूब दलवीर सिंह

गः– न्यायालय दस्तावेज सूची

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
–	–	–

:: निर्णय :: **दिनांकः– 02.04.2026**

01– इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना जायल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2018 में बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण बस्तीराम, झणकारी व अनिल के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 332, 353, 336, 324, 308 भारतीय दण्ड संहिता एवं 03 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश करने पर हुआ। प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल द्वारा हस्तगत प्रकरण अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, नागौर में कमिट किया गया। तत्पश्चात् माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, मेड़ता के आदेशानुसार प्रकरण अंतरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 15.05.2023 को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। हस्तगत निर्णय के जरिये प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

02– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27.02.2018 को परिवादी/मजरूब हैड कानि. दलवीर सिंह ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह मय जाप्ता कानि बाबूलाल, रामूराम, रामरतन, हेड कानि. अनिल कुमार व ड्राइवर कानि. अनिल मय सरकारी जीप वास्ते हल्का गश्त करने व जांच रिपोर्ट दुर्गाराम व बार–बार टेलीफोन इत्तला पर रवाना होकर गश्त करता हुआ महिला कानि. विमला को आवास से लेकर मौजा मेहरवास स्थित मकान बस्तीराम के पहुंचा। जहां गांव के काफी लोग खड़े थे, बस्तीराम को आवाज देकर बाहर बुलाया तो अचानक जान से मारने की नीयत से बस्तीराम, उसकी औरत झणकारी व उसके लड़के अनिल ने हाथों में गेंती, लाठी व कस्सी लेकर पुलिस जाप्ता पर हमला कर दिया। झणकारी ने ड्राइवर अनिल के सिर में गेंती से वार किया तथा बस्तीराम व अनिल ने उसके, अनिल व रामरतन के साथ लाठियों से मारपीट की। उसकी गर्दन

पर चोट बस्तीराम ने मारी व गाड़ी पर पथराव कर गाड़ी में तोड़फोडत्र की। मौके पर कानाराम, दुर्गाराम, किशोर, श्रवणराम, दिनेश, भंवरलाल व अन्य लोगों ने बीच–बचाव किया। फिर बस्तीराम, झणकारी व अनिल मारपीट कर अपने हथियार लेकर भाग गये।..... **इत्यादि।**

03– उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना जायल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2018 अपराध अंतर्गत धारा 352, 353, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता व 03 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण बस्तीराम, झणकारी व अनिल के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 332, 353, 336, 324, 308 भारतीय दण्ड संहिता एवं 03 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जायल के समक्ष दिनांक 27.03.2018 को पेश किया गया। जहां से कमिट होकर प्रकरण न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, नागौर के समक्ष पेश हुआ।

आरोप विरचन :–

04– तत्पश्चात् दिनांक 26.07.2019 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323/34, 327/34, 427/34, 308/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने पर दिनांक 31.10.2019 व दिनांक 21.11.2019 को उपरोक्त धाराओं के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, जिनसे इनकार कर अभियुक्तगण ने अन्वीक्षा चाही।

साक्ष्यः–

05– हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में कुल 15 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–40 प्रदर्शित करवाये गए है।

अभियुक्तगण के कथनः–

06– अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए तो मुलजिमान ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होने, झूठा फंसाए जाने बाबत् कथन किए।

07– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध के विरुद्ध बचाव साक्ष्य के रूप में अभियोजन साक्ष्य के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 प्रदर्शित करवाया गया।

<u>बहसः–</u>

08– बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का परिशीलन किया गया। सुसंगत विधि का अध्यनन किया गया।

09– विद्वान अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

10– जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से पेश किये गए साक्षी दलवीर सिंह, अनिल कुमार, रामरतन, बाबूलाल, रामूराम, अनिल एवं विमला सभी पुलिस मुलाजमान है तथा एक ही विभाग में कार्यरत होकर हितबद्ध साक्षी है। ये साक्षी बरवक्त घटना लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, इस संबंध में कोई रोजनामचा रिपोर्ट पेश नहीं हुई है, ना ही उक्त मुलाजमान के घटना के दिन अपने कार्यालय में उपस्थिति बाबत् कोई उपस्थिति पंजिका न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अतः ऐसी परिस्थितियों में उक्त साक्षीगण लोकसेवक के रूप में कार्यरत होकर बरवक्त घटना लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। इसके अलावा इन साक्षियों के बयानों में घटना संबंधी तात्विक तथ्यों के लेकर भयंकर विरोधाभास है। इन साक्षियों के कथनों की पुष्टि स्वतंत्र साक्षी दुर्गाराम, किशोर एवं कानाराम ने अपने बयानों में नहीं की है। अतः इन साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अनुसंधान अधिकारी रामपाल भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। अतः ऐसी परिस्थितियों में मुलजिमान द्वारा दी गई इत्तला के अनुसरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिमान से गेंती, कस्सी अथवा लाठी बरामद की गई हो, यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है तथा अनुसंधान अधिकारी के परीक्षित नहीं होने से अनुसंधान प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः ऐसी परिस्थितियों में मुलजिम को आरोपित अपराध से संयोजित करने वाली साक्ष्य पत्रावली पर नहीं होने के कारण दोषमुक्त घोषित किया जावें।

11– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के विनिश्चय हेतु निम्न विचारणीय बिंदु हैः–

- **मुलजिमान ने दिनांक 26.02.2018 को मध्य रात्रि में ग्राम मेहरवास में पुलिस थाना जायल के मुख्य आरक्षी दलवीर सिंह मय जाप्ता कानि. बाबूलाल, रामूराम, रामरतन, मुख्य आरक्षी अनिल, ड्राइवर कानि. अनिल एवं महिला कानि. विमला, जो कि लोक सेवक के नाते कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे, उन्हें कर्तव्य निवारित करने या भयोपरत करने के आशय से उन पर हमला या**

आपराधिक बल का प्रयोग कर स्वेच्छया से उपहतियां कारित की तथा मजरूब अनिल के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की एवं अनिल के साथ की गई उक्त मारपीट से यदि अनिल की मृत्यु कारित हो जाती तो मुलजिमान आपराधिक मानव वध के दोषी होते तथा मुलजिमान ने उपेक्षा एवं उतावलेपन से पत्थर फेंककर उनका वैयक्तिक क्षेम संकटापित किया एवं पुलिस विभाग की जीप में तोड़फोड़ कर साशय लोक सम्पत्ति को रिष्टि कारित की ?

- **यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?**

<u>विवेचनः–</u>

12– उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि बरवक्त घटना साक्षी पीडब्ल्यू 01 दलवीर सिंह, पीडब्ल्यू 05 अनिल कुमार, पीडब्ल्यू 07 अनिल, पीडब्ल्यू 08 रामरतन, पीडब्ल्यू 10 बाबूलाल, पीडब्ल्यू 14 रामूराम व पीडब्ल्यू 15 विमला राजकीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे एवं उन्हें कर्तव्य निर्वहन से भयोपरत एवं निवारित करने हेतु मुलजिमान ने उनके साथ मारपीट आपराधिक बल का प्रयोग कर उन्हें उपहतियां कारित की।

13– इस संबंध में साक्षी **पीडब्ल्यू 01 दलवीर सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए है कि दिनांक 26.02.2018 को वह तरनाउ चौकी पर हैड कानि व चौकी इंचार्ज के पद पर पदस्थापित था व उस दिन पुलिस थाना जायल में उसकी डीओ ड्यूटी थी। उस दिन शाम 5 बजे तरनाउ तिराहे पर वह, बाबूलाल सिपाही अनिल ड्राइवर व रामरतन कानि. के साथ एमवीएक्ट की कार्यवाही व वाहन चैकिंग हेतु गये। उस दिन शाम 6:30 बजे एमवीएक्ट की कार्यवाही कर थाने आ रहे थे, वहां से रवाना हुए थे तभी दुर्गाराम का टेलीफोन आया व बताया कि उनके गांव में बस्तीराम नाम का व्यक्ति है, जो शराब पीकर गांव वालों के पीछे जीप दौड़ा रहा है, जो जीप मारने के लिए दौड़ा रहा है। दुर्गाराम की सूचना पर मय जाप्ता मेहरवास गांव गये तो वहां बस्तीराम नहीं मिला और पूछने पर गवाड़ में खड़े लोगों ने बताया कि बस्तीराम जीप लेकर दुगस्ताउ की ओर गया है फिर उन्होंने तलाश की, जो 15–20 मिनट करके थाने आ गये। रात्रि में 11 बजे वह, अनिल हैड कानि., अनिल ड्राइवर, रामरतन, बाबूलाल व रामूराम गश्त के लिए रवाना हो रहे थे इतने में दुर्गाराम का फिर फोन आया और कहा कि बस्तीराम गांव में फिर जीप दौड़ा रहा है, उन्होंने दुबारा उक्त सूचना के बाद विमला कानि. को भी साथ में जाप्ते में लिया व मेहरवास में बस्तीराम के घर गये, जहां काफी लोग इकट्ठे थे। उन्होंने बस्तीराम को आवाज देकर बाहर बुलाया। बस्तीराम, उसकी पत्नी झणकारी व उसका पुत्र अनिल हाथों में हथियार लेकर आये

व आते ही झणकारी ने अनिल ड्राइवर के सिर में गेंती से मार दी। बस्तीराम व अनिल ने उनके साथ लाठियों से मारपीट की। मारपीट से उसके गर्दन में भी चोट आयी। गांव वाले कानाराम, दुर्गाराम, श्रवण व तीन चार अन्य व्यक्तियों ने बीच–बचाव कर उन्हें छुड़ाया। गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की। अनिल के सिर से खून निकलने पर उसे लेकर हॉस्पिटल लाये व थानेदार से टेलीफोन पर बात की फिर थाने आकर उन्होंने थानेदार को रिपोर्ट दी।

उक्त गवाह ने दौराने **प्रतिपरीक्षण** यह स्वीकार किया कि जब वे मौके पर पहुंचे तब बस्तीराम के घर के सभी सदस्य घर के अंदर सो रहे थे व घर का दरवाजा भी रात्रि का समय होने से बंद था तथा यह भी स्वीकार किया कि उसके मौके पर पहुंचने से पहले ही बस्तीराम के घर का दरवाजा बंद था तथा बस्तीराम को उसकी पत्नी व घर के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर ले लिया था। यह भी स्वीकार किया कि बस्तीराम व उसकी पत्नी की चोटों का मुआयना थानेदार ने करवाया था लेकिन वह साथ मेंनहीं था। बस्तीराम द्वारा दुर्गाराम के पीछे जीप दौड़ाने की बात दुर्गाराम ने ही बतायी थी। वह वक्त घटना थाने पर डीओ ड्यूटी पर था।

14– अन्य साक्षी **पीडब्ल्यू 05 अनिल कुमार पुत्र लोडूराम** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए है कि वह दिनांक 27.02.2018 को पुलिस थाना जायल मे हैड कानि. के पद पर पदस्थापित था। उसी रोज जांच अधिकारी रामपाल थानाधिकारी ने उसकी निशांदेही पर मुकदमा नम्बर 18/2018 के घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी–4 तैयार किया था। दिनांक 26.02.2018 को दलवीर सिंह की डीओ डयुटी थी, रात्रि करीब 11 बजे वह व जाप्ता कानि. रामूराम, रामरतन, दलवीर सिंह के साथ सरकारी जीप चालक अनिल कुमार के साथ थाने से गश्त हेतु रवाना हुए। दौराने गश्त दलवीर सिंह को मेहरवास में झगड़ा होने की इत्तला मिली, जिस पर वे सभी महिला कानि. विमला को साथ लेकर रवाना होकर मेहरवास में बस्तीराम के घर के सामने पहुचें, वहां पर काफी लोग खड़े थे। बस्तीराम को आवाज देकर बाहर बुलाया तो अचानक जान से मारने की नीयत से बस्तीराम व उसकी औरत झणकारी व पुत्र अनिल, जिनके हाथों मे लाठी, कस्सी व गेंती थी, ने एक साथ उनके ऊपर हमला किया। झणकारी के हाथ में गेंती थी, जिसने अनिल चालक के सिर पर चोट मारी, जिससे सिर में चोट आई और वह गिर गया। बस्तीराम व अनिल ने उसके, दलवीर सिंह व रामरतन के साथ मारपीट की, जिससे दलवीर सिंह के गर्दन पर लाठी की चोट बस्तीराम ने मारी व रामरतन के हाथ पर अनिल ने चोट मारी। उसके भी मामूली चोटें आई। इन सभी ने सरकारी गाड़ी पर पत्थर फेंककर तोडफोड की। मौके पर बाबूलाल, रामूराम कानि. व ग्रामीण लोगों में से कानाराम, दुर्गाराम, किशोर, श्रवणराम, दिनेश, भंवरलाल ने बीच बचाव कर छुड़ाया फिर

बस्तीराम वगैराह घर के अंदर भाग गये, जिसकी सूचना दलवीर सिंह ने जरिये टेलीफोन थानाधिकारी को दी। बस्तीराम, झणकारी व अनिल ने उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला किया, राजकार्य में बाधा डाली व सरकारी जीप को पत्थरों से व लाठियों से तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया।

उक्त गवाह ने दौराने **प्रतिपरीक्षण** कथन किए कि दलवीर सिंह का पदस्थापन पुलिस चौकी तरनाउ था। दिनांक 26.02.2018 को थाना जायल पर डीओ ड्यूटी थी। वे जायल से रात को 11 बजे रवाना हुए थे। बस्तीराम घर के अंदर सो रहा था। दलवीर सिंह ने आवाज देकर दरवाजा खुलवाया। बस्तीराम के घर से बस्तीराम, उसकी पत्नी झणकारी व पुत्र अनिल तीनों साथ ही बाहर निकले थे। उन्होंने बस्तीराम, झणकारी व अनिल के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की। यह स्वीकार किया कि दलवीर सिंह को लड़ाई–झगड़े की जानकारी मिल गई थी, जिस पर वे मुलजिमान के घर गये थे।

15– साक्षी **पीडब्ल्यू 07 अनिल** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए है कि वह दिनांक 27.02.2018 को पुलिस थाना जायल में वाहन चालक के पद पर पदस्थापित था। उस रोज सायं के समय गश्त के लिए तरनाउ की तरफ गये थे फिर एमवी एक्ट की कार्यवाही करने के लिए वापिस आ रहे थे तब जरिये टेलीफोन सूचना मिली कि मेहरवास गांव में लड़ाई–झगड़ा हो रहा है, जिस पर हमारह जाब्ता वह, बाबूलाल, रामरतन, दलवीर सिंह, रामूराम, अनिल हैड कानि. व विमला मौके पर गये। वहां पर बस्तीराम, झणकारी व अनिल लाठियां लेकर खड़े थे व कुछ गांव के अन्य लोग भी खड़े थे फिर दलवीर सिंह ने बस्तीराम को घर से बाहर बुलाया तो ये तीनों अपने हाथों में लाठियां व लोहे की गेंती लेकर आये और आते ही उन्होंनें दलवीर सिंह पर हमला कर दिया फिर दलवीर सिंह ने कहा कि छुड़ाओं–छुड़ाओं तब वह व रामरतन उनको छुड़ाने के लिए गये तब झणकारी ने उसके सिर पर लोहे की गेंती से वार किया, तो उसके चोट लग गई। उसके चोट लगने से पास में खड़े लोगों ने उसे वहां से दूर कर दिया। उसके बाद वहां पर खड़े अन्य लोगों ने ही दलवीर सिंह व रामरतन को छुड़ाया था। जब वे वहां से रवाना हो रहे थे, तब गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई थी। मुलजिमान ने राजकार्य में बाधा डाली थी।

उक्त गवाह ने दौराने **प्रतिपरीक्षण** कथन किए कि सूचना करीबन रात्रि 10:30–11:00 बजे मिली थी। जायल से मेहरवास की दूरी करीब 16–17 किमी. है। बस्तीराम के घर से दूर जब गाड़ी छोड़कर आया तब सभी आपस में गुथमगुथा हो गये थे। उसके स्टाफ वालों के पास लाठियां गाड़ी में थी। गाड़ी वहां से करीब 40–50 मीटर दूर थी। वह गाड़ी छोड़कर 5–7 मिनट बाद में जब मुंशी जी ने छुड़ाने की

आवाज दी, तब आया। जब वे गये तब बस्तीराम घर की चबूतरी पर तो खड़े ही थे। इस बात की जानकारी होने से इनकार किया कि मुलजिम अनिल मौके पर कब आया अजखुद कहा कि भीड़ में उसे पता नहीं ला। वह वहां पर गया तब दलवीर सिंह व रामरतन के साथ मारपीट हो रही थी। उसे जानकारी नहीं है कि मुलजिमान के पास कस्सी थी अथवा नहीं।

16– साक्षी **पीडब्ल्यू 08 रामरतन** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए है कि वह दिनांक 26.02.2018 को पुलिस थाना जायल में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस रोज रात्रि करीबन 10.30–11.00 बजे थाने के फोन पर फोन आया कि बस्तीराम गांव में अशांति फैला रहा है, जिस पर हमराह जाब्ता वह, हैड कानि. दलवीर सिंह, हैड कानि. अनिल, कानि. बाबूलाल, रामूराम व महिला कानि. विमला थाने से रवाना होकर मेहरवास गांव में बस्तीराम के घर पर जाकर बस्तीराम को बाहर बुलाने के लिये आवाज दी, उसी दौरान बस्तीराम, झणकारी व अनिल लाठी, कस्सी, गेंती लेकर घर से बाहर आये और पुलिस जाब्ता पर हमला किया व राजकार्य में बाधा पहुंचाई। उनके द्वारा किये गए हमले से वाहन चालक अनिल के सिर में चोट आयी, हैड कानि. दलवीर सिंह के गर्दन पर व उसके हाथ पर चोट आयी। उनके द्वारा पुलिस की गाड़ी पर हमला करने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी।

उक्त गवाह ने दौराने **प्रतिपरीक्षण** कथन किए कि जब वे पहुंचे तब बस्तीराम व उसके घर वाले बाहर तिबारे में बातें कर रहे थे। उसके सहित सभी सब बिना लाठी के ही गाड़ी से उतरे थे। उनके बीच में हुए झगड़े में गांव के किसी आदमी ने नहीं छुड़ाया था। जब वे वहां पहुंचे तब गांव के कोई आदमी नहीं खड़े थे। लाठी 5–6 फीट लंबी थी, जो बांस की थी। उक्त लाठी अनिल के पास थी। जीप पर आई खरोंचे, टूट–फूट में लगभग 10–15 पत्थर होने प्रतीत होते है। वे जब सुबह नक्शा मौका बनाये गए तब उसके घर के सामने पत्थर नहीं बिखरे थे। पत्थर की साईज छोटे–बड़े थे।

17– साक्षी **पीडब्ल्यू 10 बाबूलाल** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए है कि दिनांक 26.02.2018 को वह पुलिस थाना जायल में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस रोज दलवीरसिंह एचसी की थाने पर डीओ ड्यूटी थी। उस रोज करीब 11:00 PM पर दलवीर सिंह के साथ में हैड कानि. अनिल, रामूराम, रामरतन व वाहन चालक अनिल व वह मय सरकारी जीप गश्त के जायल कस्बे के लिये रवाना हुए थे, तब दलवीर सिंह के पास फोन आया कि मेहरवास गांव में बस्तीराम शराब पीकर झगड़ा कर रहा है, तब दलवीर सिंह ने महिला कानि. विमला को साथ में लेकर वे मेहरवास गांव में बस्तीराम के घर के सामने पहुंचकर बस्तीराम को आवाज लगाई, तब बस्तीराम की औरत झणकारी व उसके पुत्र अनिल ने दरवाजा खोला व पुलिस

को गाली–गलौच करने लग गये और मारपीट पर उतारू हो गये। तब उनके द्वारा उनसे समझाईश की तब भी वह नहीं माने और वाहन चालक अनिल के सिर में गेंती की मारी व बस्तीराम ने दलवीर सिंह के गर्दन पर लाठी की मारी, अनिल हैड कानि. व रामरतन, दलवीर सिंह के लाठी व कस्सियों से मारपीट करने लग गये, जिससे वाहन चालक अनिल के सिर में काफी चोट आयी व उसके खून आने लगा, बस्तीराम व उसकी औरत झणकारी तथा उसका पुत्र अनिल तीनों वहां से अपनी गेंती, लाठी व कस्सियां लेकर भाग गये तथा इन तीनों ने सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिये तथा गाड़ी के बोनट पर मारी, गाड़ी का सामने का शीशा टूट गया, चालक साईड के फाटक पर लगा शीशा टूट गया, व पत्थरों से गाड़ी के हुड पर मारी, जिससे गाड़ी के हुड पर फटने के निशान हो गये। वे सभी लोग पुलिस वर्दी में राजकार्य हेतु गये थे, जहां पर बस्तीराम, झणकारी व अनिल ने राजकार्य में बाधा डाली।

उक्त गवाह ने दौराने **प्रतिपरीक्षण** कथन किए कि वे मेहरवास गांव 11:30 PM पर पहुंचे थे। वहां पर काफी आदमी इकट्ठे हो रखे थे, जो करीबन 15–20 व्यक्ति थे। वे सभी गाड़ी से उतरे व बस्तीराम को आवाज दी थी। पुलिस जाब्ता के हाथों में डण्डो, एसएलआर गन व पंप गन थी। उनके गाड़ी से उतरकर आवाज लगाने के करीब 15–20 मिनट बाद बस्तीराम के घर का दरवाजा खुला था। उनके हाथ में पौने तीन फीट का सरकारी डण्डा था।

18– साक्षी **पीडब्ल्यू 14 रामूराम** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए है कि दिनांक 26.02.2018 को वह पुलिय थाना जायल में कानि के पद पर तैनात था। उस रोज करीब 10:30–11:00 बजे के आस–पास वे गश्त के लिए रवाना हुए। दलवीर को फोन पर मेहरवास में झगड़ा होने की इत्तला मिली तो वे महिला कानि. विमला को साथ लेकर सरकारी गाड़ी से मेहरवास पहुंचे। मेहरवास में बस्तीराम के घर के सामने पहुंचे तो वहां पर गांव वाले काफी लोग खड़े थे। बस्तीराम को आवाज देकर बाहर बुलाया तब अचानक बस्तीराम, झणकारी व अनिल ने मिलकर हाथों में लाठियां, कस्सियां लेकर पुलिस जाब्ते पर जानलेवा हमला कर दिया। झणकारी ने चालक अनिल के सिर में गेंती से मारी। बस्तीराम ने दलवीर के गर्दन पर पीछे मारी। अनिल के रामरतन ने लाठी से मारी थी। इस मारपीट में चालक अनिल, दलवीर सिंह, कानि. अनिल, रामरतन चारों के चोटें आई थी। गांव वालो ने हो–हल्ला किया। बस्तीराम, उसकी पत्नी और उसके लड़के ने अंधाधुन पथराव किया तथा सरकारी गाड़ी के साथ तोड़–फोड़ की। उस वक्त बाद में गांव वाले दुर्गाराम, कानाराम, भंवरलाल, श्रवण, और अन्य कुछ लोग आए और छुड़ाया। हो–हल्ला सुनकर मुलजिमान वहां से भाग गये।

उक्त गवाह ने दौराने **प्रतिपरीक्षण** कथन किए कि बस्तीराम उस समय घर के अंदर सो रहा था। वे पहुंचे तब बस्तीराम के घर का दरवाजा बंद था। उस वक्त उसके व दलवीर सिंह के हाथ में लाठी नहीं थी। बस्तीराम व उसके परिवारजन अपने घर से ही लाठियां लेकर निकले थे। झणकारी के साथ पुलिस जाब्ते में से किसी ने भी मारपीट नहीं की।

19– साक्षी **पीडब्ल्यू 15 विमला** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए है कि दिनांक 26.02.2018 को पुलिस थाना जायल में महिला कानि के पद पर तैनात थी। उस रोज सरकारी जीप के साथ दलवीर सिंह, अनिल कुमार, कानि रामरतन, बाबूलाल, अनिल मेहरवास बस्तीराम के घर पहुंचे तो घर के सामने जाकर दलवीर सिंह ने बस्तीराम को आवाज लगाई तो बस्तीराम, उसकी पत्नी झणकारी व लड़का अनिल घर से बाहर आये। जिनमें से झणकारी के हाथ में गेंती थी तथा बाकी के हाथ में लाठियां थी। आते ही झणकारी ने चालक अनिल कुमार के सिर में गेंती से चोट मारी व दलवीर सिंह, रामरतन के साथ भी लाठियों से मारपीट की। बाद में ये लोग मारपीट करके भाग गये। अनिल कुमार को लेकर वे जायल अस्पताल ईलाज के लिए आ गये। इसके अलावा दलवीर के भी चोटें आई थी। मुलजिमान ने मौके पर पथराव किया था, जिस कारण से सरकारी जीप में तोड़–फोड़ हुई थी। उस समय वे सभी पुलिस कार्मिक वर्दी में थे। मुलजिमान ने मारपीट कर तथा पथराव करके राजकार्य में बाधा पहुंचाई।

उक्त गवाह ने दौराने **प्रतिपरीक्षण** कथन किए कि मेहरवास रात के करीब 12:30 बजे पहुंचे थे। पुलिस कार्मिकों में से किसी के पास भी लाठी नहीं थी। लाठियां सरकारी गाड़ी में थी। बस्तीराम को आवाज लगाई तब उसने पूछा कौन हो, तब बताया था कि पुलिस वाले है। जब वे बस्तीराम के घर के सामने पहुंचे तक उस समय 10–15 आदमी बाहर खड़े थे। वे वापस लगभग 5–7 मिनट बाद रवाना हो गए थे क्योंकि चोटें लग गई थी। जब रवाना हुए तब मुलजिमान के हाथ में लाठी और गेंती थी और मुलजिमान मौके पर से भाग गए थे। मुलजिमान में से किसी के हाथ में भी कस्सी उसने नहीं देखी।

20- इस प्रकार परिवादी दलवीर सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में अंकित सम्पुष्टि करते हुए स्पष्टतः न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 26.02.2018 को वह तरनाउ चौकी पर हैड कानि. एवं चौकी इंचार्ज के पद पर कार्यरत था तथा उस दिन उसकी पुलिस थाना जायल में डीओ ड्यूटी भी थी। इस साक्षी ने रात्रि 11:30 बजे अनिल हैड. कानि., अनिल ड्राइवर, रामरतन, बाबूलाल व रामूराम के साथ गश्त पर रवाना होने, दुर्गाराम द्वारा गांव में बस्तीराम द्वारा जीप

दौड़ाने की सूचना फोन पर देने, उक्त सूचना पर विमला हैड कानि. को लेकर गांव मेहरवास में बस्तीराम के घर पर पहुंचने, बस्तीराम को आवाज देकर बाहर बुलाने पर बस्तीराम, उसकी पत्नी झणकारी व उसके पुत्र अनिल द्वारा हाथों में लाठियां लेकर आने, आते ही झणकारी द्वारा अनिल ड्राइवर के सिर पर गेंती से मारने, बस्तीराम व अनिल द्वारा उनके साथ लाठियों से मारपीट करने, मारपीट से उसकी गर्दन में चोटें आने बाबत् कथन किए है तथा इस साक्षी के अपने व साथी मुलाजमान के साथ मुलजिमान द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में किये गए कथन जिरह के दौरान भी अखण्डित अवस्था में रहे है।

21- इस साक्षी के कथनों की सम्पुष्टि बरवक्त घटना उसके साथ गए वाहन चालक साक्षी पीडब्ल्यू 07 अनिल कुमार ने भी अपने बयानों में की है। इस साक्षी ने स्पष्टतः शाम के समय गश्त के लिए तरनाउ की तरफ जाने, तब जरिये टेलीफोन मेहरवास गांव में लड़ाई–झगड़ा होने पर बाबूलाल, रामरतन, दलवीर सिंह, रामूराम, अनिल व विमला के साथ मौके पर जाने, वहां पर बस्तीराम, झणकारी व अनिल द्वारा लाठियां लेकर खड़े होने, दलवीर सिंह हैड कानि. द्वारा बस्तीराम को घर से बाहर बुलाने पर बस्तीराम, बस्तीराम की औरत झणकारी व बस्तीराम के लड़के अनिल, तीनों के अपने हाथों में लाठियां व लोहे की गेंती लेकर आने व दलवीर सिंह पर हमला करने, दलवीर सिंह द्वारा छुड़ाओं–छुड़ाओं कहने पर उसके व रामरतन के छुड़ाने पर जाने तब बस्तीराम की औरत झणकारी द्वारा उसके सिर पर लोहे की गेंती से वार करने से उसके सिर में चोट लगने बाबत् कथन इस साक्षी के रहे है तथा इस साक्षी के भी अपने मुख्य परीक्षण में मुलजिमान द्वारा उसके व साथी पुलिस मुलाजमान के साथ मारपीट किए जाने संबंधी किये गए कथन जिरह के दौरान अखण्डित अवस्था में रहे है। इस साक्षी ने झणकारी द्वारा उसके सिर पर लोहे की गेंती से वार किए जाने बाबत् कथन किए है।

22- साक्षी पीडब्ल्यू 01 दलवीर सिंह व पीडब्ल्यू 07 अनिल कुमार के कथनों की सम्पुष्टि करते हुए साक्षी पीडब्ल्यू 05 अनिल ने भी दिनांक 26.02.2018 को रात्रि 11:00 बजे हैड कानि. दलवीर सिंह, रामूराम, रामरतन मय सरकारी जीप चालक अनिल कुमार के साथ थाने से गश्त हेतु रवाना होने, दलवीर सिंह को मेहरवास में झगड़ा होने की इत्तला मिलने पर महिला हैड कानि. विमला को साथ लेकर गांव मेहरवास में बस्तीराम के मकान पर पहुंचकर बस्तीराम को आवाज देकर बाहर बुलाने पर अचानक से जान से मारने की नीयत से बस्तीराम, झणकारी व अनिल द्वारा हाथों में लाठी, कस्सी व गेंती लेकर उन पर हमला करने, झणकारी द्वारा गेंती से अनिल चालक के सिर पर चोट मारने, बस्तीराम व उसके पुत्र अनिल द्वारा उसके, दलवीर सिंह व रामरतन के साथ मारपीट किए जाने, जिससे दलवीर सिंह के

गर्दन पर लाठी की चोट बस्तीराम द्वारा मारने व रामरतन के हाथ पर अनिल द्वारा चोट मारने, उसके भी मामूली चोट लगने, मुलजिमान द्वारा राजकार्य में बाधा डालने बाबत् इस साक्षी के रहे है।

23- इस प्रकार इस साक्षी के भी मुख्य परीक्षण में मुलजिमान द्वारा उसके व अन्य पुलिस मुलाजमान के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में किये गए कथन जिरह के दौरान भी अखण्डित अवस्था में रहे है। इसके अलावा घटनास्थल पर दलवीर सिंह व अनिल के साथ जाने वाले अन्य पुलिस मुलाजमान पीडब्ल्यू 08 रामरतन, पीडब्ल्यू 10 बाबूलाल व पीडब्ल्यू 14 रामूराम ने भी इन साक्षियों के कथनों की पुष्टि करते हुए दिनांक 26.02.2018 को दलवीर सिंह व अन्य पुलिस मुलाजमान के साथ गश्त हेतु रवाना होने, फोन पर सूचना मिलने पर गांव मेहरवास में बस्तीराम के घर पर जाकर उसके बाहर बुलाने के लिए आवाज देने पर बस्तीराम, उसकी पत्नी झणकारी व उसके पुत्र अनिल द्वारा हाथों में लाठी, गेंती व कस्सी लेकर आने व उनके साथ मारपीट किए जाने बाबत् कथन किए है। इन साक्षियों ने झणकारी द्वारा अनिल के सिर पर गेंती की चोट मारने, दलवीर सिंह के गर्दन व हाथ पर चोट लगने बाबत् कथन किए है।

24- पीडब्ल्यू 08 रामरतन ने बस्तीराम की पत्नी झणकारी, उसके पुत्र अनिल व बस्तीराम द्वारा लाठी, गेंती व कस्सी लेकर बाहर आकर पुलिस जाप्ते पर हमला करने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने, उनके द्वारा किये गए हमले से वाहन चालक अनिल कुमार के चोट लगने, दलवीर सिंह के गर्दन व हाथ पर चोट लगने बाबत् कथन किए है। साक्षी पीडब्ल्यू 10 बाबूलाल ने उसके साथ बस्तीराम, झणकारी व अनिल द्वारा गाली–गलौच करने व मारपीट पर उतारू हो जाने, वाहन चालक अनिल के सिर पर गेंती की मारने, बस्तीराम द्वारा दलवीर सिंह के गर्दन पर लाठी की मारने, हैड कानि अनिल, रामरतन व दलवीर सिंह के लाठी व कस्सी से मारपीट करने लग जाने, अनिल के सिर पर काफी चोट लग जाने व खून आने बाबत् कथन किए है।

25- साक्षी पीडब्ल्यू 14 रामूराम ने भी बस्तीराम, झणकारी व अनिल द्वारा हाथों में लाठियां कस्सियां लेकर पुलिस जाप्ते पर हमला कर देने, झणकारी द्वारा अनिल के सिर पर गेंती की मारने, बस्तीराम द्वारा दलवीर के गर्दन पर पीछे से मारने, अनिल द्वारा रामरतन के लाठी से मारने, इस मारपीट में चालक अनिल, दलवीर सिंह, अनिल व रामरतन चारों के चोटें लगने बाबत् कथन किए है तथा उपर्युक्त तीनों साक्षी रामरतन, बाबूलाल एवं रामूराम के भी मुलजिमान द्वारा पुलिस जाप्ता पर हमला करने व उनके साथ मारपीट किए जाने के संबंध में मुख्य परीक्षण में किये गए कथन जिरह के दौरान भी अखण्डित अवस्था में रहे है।

26- इन सभी साक्षियों के कथनों की पुष्टि करते हुए साक्षिया पीडब्ल्यू 15 विमला ने भी दिनांक 26.02.2018 को दलवीर सिंह, अनिल कुमार, अनिल, रामरतन, बाबूलाल, चालक अनिल कुमार के साथ मेहरवास में बस्तीराम के घर पर पहुंचने, बस्तीराम को आवाज लगाने पर उसके और बस्तीराम की पत्नी झणकारी व उसके लड़के अनिल आने, जिनमें झणकारी के हाथ में गेंती व बाकी के हाथ में लाठिया होने, झणकारी द्वारा चालक अनिल के सिर में गेंती की चोट मारने, दलवीर सिंह, रामरतन के साथ लाठियों से मारपीट करने बाबत् कथन इस साक्षिया के रहे है तथा इस साक्षिया ने भी उस समय सभी पुलिसकर्मियों के वर्दी में होने तथा मुलजिमान द्वारा मारपीट कर उनके राजकार्य में बाधा पहुंचाए जाने बाबत् कथन किए है।

27- इस प्रकार अभियोजन की ओर से पेश किये गए साक्षी पीडब्ल्यू 01 दलवीर सिंह, पीडब्ल्यू 05 अनिल कुमार, पीडब्ल्यू 07 अनिल, पीडब्ल्यू 08 रामरतन, पीडब्ल्यू 10 बाबूलाल, पीडब्ल्यू 14 रामूराम व पीडब्ल्यू 15 विमला ने एक स्वर में कथन किए है कि दिनांक 26.02.2018 को रात्रि के समय दलवीर सिंह के साथ गश्त के दौरान फोन आने पर वे लोग पुलिस जाप्ते के साथ गांव मेहरवास में बस्तीराम के घर पर पहुंचे तथा बस्तीराम को आवाज दी तो बस्तीराम, उसकी पत्नी झणकारी व उसका लड़का अनिल गेंती, कस्सी व लाठी लेकर बाहर आए। झणकारी ने अनिल के सिर पर गेंती की चोट पहुंचाई तथा अन्य मुलजिमान ने शेष मुलाजमान दलवीर सिंह, अनिल व रामरतन के साथ मारपीट की तथा इन साक्षियों के पुलिस मुलाजमान के साथ मुलजिमान द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में मुख्य परीक्षण में किये गए कथनों का जिरह के दौरान कोई खण्डन नहीं हुआ है। इन साक्षियों के पुलिस मुलाजमान के साथ मुलजिमान द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में किये गए कथन एकरूपता लिये हुए है तथा इन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई विरोधाभास एवं लोप उभरकर सामने नहीं आया है, जिससे इन साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सकें। इन साक्षियों के कथन सत्य, विश्वसनीय एवं सम्पुष्टिकारक प्रवृति के है।

28- इन साक्षियों के कथनों की सम्पुष्टि घटना के तुरंत पश्चात् करवाये गए मेडिकल मुआयना से प्राप्त चोट प्रतिवेदन एवं चिकित्सकीय साक्षी डॉ. रामचंद्र के बयानों से भी होती है। साक्षी पीडब्ल्यू 13 डॉ. रामचंद्र ने स्पष्टतः दिनांक 26.02.2018 को दलवीर, अनिल पुत्र लोडूराम, रामरतन पुत्र रूघनाथ, अनिल पुत्र जोगाराम के शरीर पर कारित चोटों का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किए जाने बाबत् कथन किए है। इस साक्षी ने दलवीर सिंह के गर्दन, बायीं कोहनी एवं छाती पर, अनिल पुत्र लोडूराम के गर्दन, बायीं अग्र भुजा, कमर, कुल्हों पर, रामरतन के दायें हाथ के अंगूठे, दायें हाथ की तर्जनी अंगुली व कमर पर साधारण प्रकृति से कुंद

हथियार से कारित चोट होने बाबत् कथन किए है तथा इन चोटों को 2–3 घण्टे पुराना होना बताया है अर्थात् घटना के तुरंत पश्चात् करवाये गए मेडिकल मुआयना में दलवीर सिंह, अनिल व रामरतन के शरीर पर चोट होना तथा उक्त चोटों को 2–3 घण्टे अवधि पुराने होने का तथ्य मजरूब साक्षियों के अपने साथ मुलजिमान द्वारा मारपीट किए जाने के तथ्य को पुष्ट करता है।

29- इसके अलावा मजरूब अनिल पुत्र जोगाराम के सिर पर मध्य भाग में एक कटा हुआ घाव धारदार हथियार से कारित होने बाबत् कथन इस साक्षी के रहे है, इससे भी झणकारी द्वारा मजरूब अनिल के सिर पर गेंती से वार कर उपहति कारित करने संबंधी मौखिक साक्षियों के कथनों की पुष्टि होती है। चोट प्रतिवेदन एवं चिकित्सकीय साक्षी के बयानों से मजरूब अनिल के शरीर के विशिष्ट भाग पर विशिष्ट हथियार से कारित चोटों के संबंध में मौखिक साक्षियों के बयानों की पुष्टि होती है। अतः मौखिक साक्षियों दलवीर सिंह, अनिल कुमार, रामरतन, रामूराम, अनिल एवं विमला द्वारा मुलजिमान द्वारा उनके साथ की गई मारपीट के कथनों की सम्पुष्टि चिकित्सकीय साक्षी के बयानों से भी होती है।

30- साक्षी दलवीर सिंह, अनिल कुमार, अनिल, रामरतन, रामूराम, बाबूलाल व विमला के कथनों से यह प्रकट होता है कि वे बरवक्त घटना पुलिस थाना जायल में पदस्थापित थे तथा इन साक्षियों के दिनांक 26.02.2018 को पुलिस थाना जायल में पदस्थापित होने के संबंध में मुख्य परीक्षण में किये गए कथनों का जिरह के दौरान कोई खण्डन नहीं हुआ है तथा साक्षी पीडब्ल्यू 05 अनिल कुमार ने अपना नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी–21, साक्षी पीडब्ल्यू 07 अनिल ने अपना नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी–29 व रामरतन ने अपना नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी–25, बाबूलाल ने अपना नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी–27, विमला ने अपना नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी–39 न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया है, जिससे यह प्रकट होता है कि उक्त साक्षी पुलिस विभाग में कानि. के पद पर नियुक्त हुए थे तथा इन साक्षियों में से दलवीर सिंह ने अपने जायल थाने एवं तरनाउ चौकी में पदस्थापित होने के संबंध में आदेश प्रदर्श पी–3, अनिल ने आदेश प्रदर्श पी–18, रामरतन ने आदेश प्रदर्श पी–24, बाबूलाल ने आदेश प्रदर्श पी–28 व विमला ने आदेश प्रदर्श पी–24 प्रदर्शित करवाकर यह साबित किया है कि इन मुलाजमान की बरवक्त घटना पुलिस थाना जायल में नियुक्ति थी।

31- इस प्रकार मजरूबान के पुलिस महकमें में नियुक्ति आदेश एवं उनके पुलिस थाना जायल में पदस्थापन आदेश से उनके लोक सेवक होकर राजकीय कर्तव्य निर्वहन करने का तथ्य साबित होता है। इसके अलावा इन साक्षियों ने बरवक्त घटना दिनांक 26.02.2018 को भी पुलिस थाना जायल में पदस्थापित होने बाबत्

कथन किए है, जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। साक्षी दलवीर सिंह के कथनों से स्पष्ट प्रकट होता है कि वह दुर्गाराम द्वारा बस्तीराम द्वारा गांव में लड़ाई–झगड़ा करने बाबत् फोन करने पर वह अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु गांव मेहरवास में बस्तीराम के घर पर गया था, जिसकी पुष्टि अन्य साक्षियों के बयानों से भी होती है तथा दुर्गाराम ने भी अपने द्वारा पुलिस थाना जायल में फोन करने संबंधी तथ्यों को पुष्ट किया है। अतः ऐसी परिस्थितियों में भले ही रोजनामचा आदेश एवं उक्त कर्मचारीगण की उपस्थिति पंजिका प्रदर्शित नहीं हुई हो लेकिन यह तथ्य प्रकट होता है कि उक्त सभी साक्षी दलवीर सिंह, अनिल कुमार, अनिल, बाबूलाल, रामरतन, रामूराम व विमला अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु दुर्गाराम द्वारा लड़ाई–झगड़े की सूचना दिए जाने पर सरकारी जीप लेकर गांव मेहरवास में बस्तीराम के घर पर गए थे तथा इस दौरान बस्तीराम ने इन सभी मुलाजमान के साथ मारपीट कर उनके राजकीय कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचाई तथा उन्हें उपहतियां कारित की।

32- यद्यपि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि उपर्युक्त साक्षी दलवीर सिंह, अनिल कुमार, अनिल, बाबूलाल, रामरतन, रामूराम व विमला के बयानों में घटना संबंधी तात्विक तथ्यों को लेकर भयंकर विरोधाभास है तथा इन साक्षियों के कथनों की सम्पुष्टि साक्षी किशोर, कानाराम व दुर्गाराम द्वारा अपने बयानों में नहीं की गई है तथा ये सभी साक्षी पुलिस मुलाजमान होकर एक ही विभाग के साक्षी है। अतः इन साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी दलवीर सिंह, अनिल कुमार, अनिल, बाबूलाल, रामरतन, रामूराम व विमला सभी पुलिस विभाग के कर्मचारी होकर एक ही विभाग के साक्षी है तथा इन साक्षियों के बयानों में मामूली विरोधाभास भी है लेकिन इन साक्षियों के बयानों में घटना संबंधी तात्विक तथ्यों को लेकर कोई विरोधाभास नहीं है। इन साक्षियों ने मुलजिमान द्वारा दलवीर सिंह, अनिल कुमार, रामरतन एवं अनिल के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में स्पष्टतः कथन किए है, जिनका कोई खण्डन नहीं हुआ है तथा इन साक्षियों के बयानों में मामूली विरोधाभास आना, इन साक्षियों की सत्यता एवं विश्वसनीयता को दर्शाता है।

33- यद्यपि साक्षी कानाराम एवं किशोर पक्षद्रोही घोषित हुए है लेकिन इन साक्षियों के पक्षद्रोही घोषित होने से कोई प्रभाव अभियोजन कहानी पर नहीं पड़ेगा क्योंकि उक्त साक्षीगण मुलजिमान के गांव के ही होने से इन साक्षियों की मुलजिमान से हितबद्धता होना प्रकट होता है। इसके अलावा इन पुलिस मुलाजमान की मुलजिमान से कोई पूर्व से रंजिश हो, ऐसा कोई तथ्य भी पत्रावली पर नहीं है, ना ही ऐसा कोई सुझाव अथवा प्रश्न इन साक्षियों से दौराने जिरह पूछा गया है। अतः ऐसी परिस्थितियों में बिना किसी कारण के मुलजिमान के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाए जाने का भी

कोई आधार नहीं है। अतः ऐसी परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का उपर्युक्त तर्क सारहीन है।

34- जहां तक मुलजिमान द्वारा साक्षी अनिल कुमार के आपराधिक मानव वध का प्रयत्न किए जाने का प्रश्न है ? तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आपराधिक मानव वध के संबंध में यह विधिक प्रावधान है किः–

<u>आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न –</u>

> *"जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता दण्डित किया जाएगा।"*

35– इस प्रकार उक्त विधिक उपबंध का अवलोकन करने से यह सुस्पष्ट है कि धारा 308 के प्रावधान लागू किए जाने के लिए अभियुक्त का "आशय" व "ज्ञान" एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हस्तगत मामले में यदि उक्त तथ्यों के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करें, तो सुस्पष्ट है कि परिवादी मय जाप्ता के घटनास्थल पर राजकीय कार्य का निर्वहन करने पहुंचे थे तथा उन्होंने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वहां बस्तीराम को बाहर बुलाने पर अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान के साथ मारपीट की थी। अतः ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा सुनियोजित तैयारी करके हथियारों से लैस होकर आहत अनिल की मृत्यु कारित करने के आशय से हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव माधव का अपराध कारित करने के आशय व ज्ञान के साथ चोटें कारित की गई हों तथा साक्ष्याभिलेख से न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है कि मुलजिमान द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रेषण में आहत अनिल की मृत्यु कारित करने के "ज्ञान" व "आशय" के साथ उसके सिर पर वार किया गया था तथा चोट प्रतिवेदन में भी अनिल के शरीर के किसी मर्म भाग पर अन्य कोई चोट आने बाबत् तथ्य अंकित नहीं है। अतः ऐसा भी तथ्य आहत अनिल के चोट प्रतिवेदन परिलक्षित नहीं होता है कि आहत के माथे पर बार–बार गेंती से चोटें कारित की गई हों।

36– अतः उपरोक्त विवेचना से जहां एक ओर चोट प्रतिवेदन में आहत अनिल के माथे पर आई चोट सामान्य प्रकृति की पायी गई है, जो प्राणघातक चोट की श्रेणी में नहीं आती है एवं उसके कारित अन्य एक चोट भी साधारण प्रकृति की थी, वहीं दूसरी ओर अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण का ज्ञान व आशय के साथ उक्त चोट कारित करना भी प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः आहत अनिल

को सिर पर आई चोट धारा 308 के अपराध का गठन नहीं करती है, अपितु साधारण प्रकृति की चोट होने से यह धारा 324 के अपराध की श्रेणी में आती है।

37– हस्तगत प्रकरण में अनिल के सिर पर एक ही चोट है, जिससे किसी प्रकार की गंभीर उपहति कारित नहीं हुई है तथा चिकित्सकीय साक्षी ने भी उक्त चोट को जानलेवा होना नहीं बताया है। इसके अलावा मजरूब अनिल के शरीर के मर्म भाग पर कोई चोट नहीं आई है, ना ही मजरूब अनिल के शरीर पर कोई गंभीर उपहति कारित की गई है। इसके अलावा बरवक्त घटना मुलजिमान संख्या में 03 थे तथा मुलाजमान संख्या में 07 थे, अतः ऐसी परिस्थितियों में मुलजिमान का आशय आपराधिक मानव वध के प्रयत्न का रहा हो, यह तथ्य साबित नहीं होता है।

38- यद्यपि साक्षी अनिल कुमार एवं ओमप्रकाश ने मुलजिम बस्तीराम के घर से उसकी इत्तला पर एक बांस की लाठी बरामद किए जाने व मुलजिम झणकारी की इत्तला पर एक लोहे की गेंती बरामद किए जाने बाबत् कथन किए है तथा साक्षी लक्ष्मणराम एवं ओमप्रकाश ने मुलजिम अनिल से उसके घर से एक लोहे की कस्सी बरामद किए जाने बाबत् कथन किए है लेकिन अभियोजन कहानी से यह प्रकट होता है कि उक्त बरामदगी अनुसंधान अधिकारी रामपाल को मुलजिमान द्वारा दी गई इत्तला के अनुसरण में की गई है लेकिन अनुसंधान अधिकारी रामपाल की मृत्यु हो जाने के कारण वह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। अतः ऐसी परिस्थितियों में उक्त इत्तला स्वेच्छा से दी गई थी, ऐसी इत्तला दी गई थी अथवा नहीं दी गई थी, इस संबंध में जिरह करने का अवसर अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में अभियुक्तगण का प्रतिरक्षा का अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। अतः उक्त बरामदगी बांस की लाठी, गेंती एवं कस्सी मुलजिमान द्वारा दी गई इत्तला के अनुसरण में की गई हो, यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है तथा यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त बरामदशुदा हथियारों का प्रयोग मुलजिमान द्वारा उक्त मारपीट में किया गया है लेकिन उक्त बरामदगी साबित नहीं होने से भी कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन कहानी पर नहीं पड़ता है क्योंकि मजरूबान एवं अन्य साक्षियों ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्पष्टतया मुलजिमान द्वारा उनके साथ मारपीट किए जाने बाबत् कथन किए है, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्षी के बयानों से भी होती है।

39- साक्षी दलवीर सिंह ने कथन किए है कि मुलजिमान ने गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की थी। पीडब्ल्यू 05 अनिल ने कथन किए है कि सभी मुलजिमान ने सरकारी गाड़ी पर पत्थर फेंककर तोड़फोड़ की। मुलजिमान ने राजकीय कार्य में बाधा डाली व सरकारी जीप को पत्थरों व लाठियों से तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। साक्षी पीडब्ल्यू 07 अनिल कुमार ने कथन किए है कि जब वे वहां से रवाना हुए तब

गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई थी तथा मुलजिमान ने राजकीय कार्य में बाधा डाली थी। साक्षी पीडब्ल्यू 08 रामरतन ने कथन किए है कि उनके द्वारा पुलिस की गाड़ी पर हमला करने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। साक्षी पीडब्ल्यू 10 बाबूलाल ने कथन किए है कि मुलजिमान ने सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए तथा गाड़ी के बोनट पर मारी, गाड़ी का सामने का शीशा टूट गया, चालक साईड के फाटक पर लगा शीशा टूट गया व पत्थरों से गाड़ी के हुड पर मारी, जिससे गाड़ी के हुड पर फटने के निशान हो गए। साक्षी पीडब्ल्यू 14 रामूराम ने कथन किए है कि बस्तीराम, उसकी पत्नी व लड़के ने अंधाधुंध पथराव किया व सरकारी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। साक्षिया पीडब्ल्यू 15 विमला ने भी कथन किए है कि मुलजिमान ने मौके पर पथराव किया, जिस कारण से सरकारी जीप में तोड़फोड़ हुई थी।

40- इस प्रकार उपर्युक्त सभी साक्षियों ने एक स्वर में कथन किए है कि मुलजिमान द्वारा मौके पर पथराव किया गया था, जिससे सरकारी जीप को भी नुकसान पहुंचा था। अतः मुलजिमान द्वारा पथराव कर उपेक्षापूर्ण कृत्य कर मानव जीवन को संकटापित किए जाने का तथ्य प्रकट होता है। इसके अलावा मुलजिमान द्वारा सरकारी जीप को क्षतिग्रस्त किए जाने के संबंध में भी मौखिक साक्षियों के कथन रहे है। इसके संबंध में फर्द निरीक्षण सरकारी जीप RJ–21–UA–8511 प्रदर्श पी–23 के अवलोकन से मौखिक साक्षियों के कथनों की पुष्टि होती है, जिसमें स्पष्टतया जीप के आगे का मैन शीशा फूटा होना, बोनट पर खलासी साईड में मोच होना, बैक मिरर टूटा हुआ होना, हुड पर जगह–जगह पत्थर से फटने जैसे निशान होना, ड्राइवर साईड का फाटक का कांच टूटा हुआ होने बाबत् तथ्य अंकित है, जिसकी पुष्टि उक्त फर्द निरीक्षण के समय उपस्थित मौतबिरान साक्षी पीडब्ल्यू 08 रामरतन एवं पीडब्ल्यू 10 बाबूलाल ने अपने बयानों में की है। कानि. मेहराम द्वारा थानाधिकारी जायल को प्रेषित पत्र में भी सरकारी जीप में टूट–फूट होने बाबत् तथ्य अंकित किये गए है।

41- इस प्रकार फर्द निरीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से भी मौखिक साक्षियों के कथनों की पुष्टि होती है तथा यह तथ्य पुष्ट होता है कि मुलजिमान द्वारा पत्थरबाजी कर सरकारी जीप को नुकसान पहुंचाकर साशय रिष्टि कारित की गई।

42- अधिवक्ता अभियुक्तगण का एक मुख्य तर्क यह रहा है कि हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ही परीक्षित नहीं हुआ है, इस कारण प्रकरण में किया गया अनुसंधान ही प्रमाणित नहीं हुआ है। इस संदर्भ में यदि पत्रावली का अवलोकन करें तो यह सही है कि हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी परीक्षित नहीं हुआ है किंतु अनुसंधान अधिकारी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने का कारण उसकी मृत्यु होना है तथा उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर

प्रस्तुत किया गया है। अतः अनुसंधान अधिकारी को साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया जाना एक मानवीय नियंत्रण से परे की स्थिति है एवं अभियोजन पक्ष का कारण सद्भाविक एवं युक्तियुक्त है। यदि किसी प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की जा सकी हो, तो क्या यह अभियुक्त पक्ष की दोषमुक्ति का आधार हो सकता है ? इस विधिक प्रश्न के उत्तर हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय पटना उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायिक दृष्टांतों में निम्न अभिमत प्रकट किए हैं :–

- <u>2000 (4) Supreme 725, Bahadur Naik v/s State of Bihar</u>

2. The appellant has not been able to shake the credibility of the eye–witnesses. No material contradiction in the case of the prosecution has been shown to us. Under these facts and circumstances, the non–examination of the Investigating Officer as a witness is of no consequence. It has not been shown what prejudice has been caused to the appellant by such non–examination.

- <u>1986 0 Supreme(Pat) 347, S.K.Rashid @ Abdul Rashid Versus State Of Bihar</u>

True, non–examination of Investigating Officer is not necessarily fatal to the prosecution. A Court has to see whether the evidence of the Investigating Officer is essential for the case of the prosecution to succeed or not. The Court has to see at the same time that the accused is not unnecessarily harassed and unless it sees that for unavoidable reasons the prosecution fail to produce the Investigating Officer, it may pronounce the judgment without the evidence of the investigating Officer.

- <u>2004(8) Supreme 591 Birendra Rai & Ors. –Appellants versus State of Bihar</u>

14. It was then submitted that the investigating officer was not examined in this case and that has resulted in prejudice to the accused. Having gone through the evidence of witnesses and other material on record, we do not find that any prejudice has been caused to the defence by non–examination of the investigating officer

43– उक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से यह सुस्पष्ट विधिक स्थिति है कि जहां न्यायालय के समक्ष सुदृढ़ साक्ष्य उपलब्ध हो एवं उसमें कोई सारभूत विरोधाभास न हो, वहां अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य व उससे पूछताछ का कोई औचित्य नहीं रह जाता है एवं उससे अभियुक्त पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यायालय को यह भी देखना होगा कि यदि अभियोजन पक्ष किसी अपरिहार्य

कारण से जांच अधिकारी को पेश करने में विफल रहा है, तो वह जांच अधिकारी की साक्ष्य के बिना भी निर्णय कर सकता है।

44– अब यदि उक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में हस्तगत मामले को देखें, तो प्रकरण के आहतगण की साक्ष्य अभियुक्तगण बस्तीराम, झणकारी व अनिल के संदर्भ सुदृढ़ प्रकृति की रही है तथा आहतगण के कारित चोटों की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी से भी हुई है तथा उनकी साक्ष्य में कोई सारभूत विरोधाभास नहीं है तथा अनुसंधान अधिकारी के परीक्षित नहीं होने मात्र से मजरूबान एवं अन्य साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है एवं इन साक्षियों से की गई जिरह के दौरान भी अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा ऐसे कोई सुझाव अथवा प्रश्न नहीं पूछे गए है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अनुसंधान अधिकारी ने उनके बयान लेखबद्ध नहीं किए हो अथवा उनके द्वारा दिये गए बयानों को तोड़–मरोड़कर अनुसंधान अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया गया हो।

45- अतः ऐसी परिस्थितियों में जब न्यायालय के समक्ष सुदृढ़ तथ्यात्मक साक्ष्य उपलब्ध है, वहां अनुसंधान अधिकारी की मृत्यु होने से उसके परीक्षित नहीं होने के कारण अभियोजन कहानी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि अभियुक्त पक्ष यह नहीं बता पाया है कि अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य न होने से उसे क्या प्रतिकूल प्रभाव हस्तगत मामले में कारित हुआ है तथा इसके आधार पर पीड़ित पक्ष को न्याय से वंचित भी नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों के प्रकाश में उक्त तर्क अभियुक्त पक्ष की कोई सहायता नहीं करता है।

46- चूंकि साक्षी दलवीर सिंह, अनिल कुमार, अनिल, रामरतन, बाबूलाल, रामूराम एवं विमला दिनांक 26.02.2018 को दुर्गाराम की इत्तला पर गांव मेहरवास में बस्तीराम के घर पर राजकीय कर्तव्य के निर्वहन हेतु जाते है, इस दौरान मुलजिमान बस्तीराम, उसकी पत्नी झणकारी एवं पुत्र अनिल द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है, जिससे दलवीर सिंह, अनिल कुमार, अनिल एवं रामरतन के शरीर पर चोटें कारित हुई, जिसकी पुष्टि चोट प्रतिवेदनों से भी होती है तथा मुलजिमान द्वारा पत्थर फेंककर मानव जीवन को संकटापित किया गया, इसके अलावा मुलजिमान द्वारा सरकारी सम्पत्ति जीप को नुकसान पहुंचाकर साशय रिष्टि कारित की, इस संबंध में भी प्रत्यक्ष साक्ष्य पत्रावली पर है तथा प्रत्यक्ष साक्ष्य की पुष्टि फर्द निरीक्षण एवं मुआयना रिपोर्ट जीप से भी होती है।

47- इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन एवं विश्लेषणानुसार अभियोजन की ओर से पेश की गई साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है कि मुलजिमान ने

सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 26.02.2018 को मध्य रात्रि में ग्राम मेहरवास में पुलिस थाना जायल के मुख्य आरक्षी दलवीर सिंह मय जाप्ता कानि. बाबूलाल, रामूराम, रामरतन, मुख्य आरक्षी अनिल, ड्राइवर कानि. अनिल एवं महिला कानि. विमला, जो कि लोक सेवक के नाते कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे, उन्हें कर्तव्य निवारित करने या भयोपरत करने के आशय से उन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर स्वेच्छया से उपहतियां कारित की तथा मजरूब अनिल के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की तथा मुलजिमान ने उपेक्षा एवं उतावलेपन से पत्थर फेंककर उनका वैयक्तिक क्षेम संकटापित किया एवं पुलिस विभाग की जीप में तोड़फोड़ कर साशय लोक सम्पत्ति को रिष्टि कारित की। लेकिन अभियोजन यह तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि मुलजिमान द्वारा ड्राइवर कानि. अनिल के साथ मारपीट कर उपहतियां कारित कर उक्त कार्य साशय या ज्ञानपूर्वक ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि मुलजिमान के कृत्य द्वारा मृत्यु कारित हो जाती तो वे हत्या की कोटि में न होने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। अतः अभियुक्तगण बस्तीराम, झणकारी व अनिल को अपराध अंतर्गत धारा 332/34, 353/34, 336, 324/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं 03 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–ः <u>आदेश</u> ःः–

48– परिणामतः अभियुक्तगण बस्तीराम पुत्र सुरजाराम, उम्र–54 साल, झणकारी पत्नी बस्तीराम, उम्र–52 साल व अनिल पुत्र बस्तीराम, उम्र–27 साल, निवासीगण मेहरबास, तहसील जायल, जिला नागौर को अपराध अंतर्गत धारा **332/34, 353/34, 336, 324/34** भारतीय दण्ड संहिता एवं **03** लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है तथा धारा **308/34** भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

49– अभियुक्तगण बस्तीराम, झणकारी व अनिल की ओर से पूर्व में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(लक्ष्मण राम बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश, जायल
जिला नागौर

सजा के प्रश्न पर सुना गयाः–

50– सजा के बिन्दु पर दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा तर्क दिये गये कि अभियुक्तगण ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति है एवं एक अभियुक्ता महिला भी है तथा अभियुक्तगण विगत 08 साल से अन्वीक्षा भुगत रहे है। अतः अभियुक्तगण की आयु, पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया।

51– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा लोकसेवकों के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहतियां कारित की गई है एवं मानव जीवन को संकटापित करते हुए सरकारी सम्पत्ति के नुकसान कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना, ना सिर्फ परिवादी पक्ष के साथ अन्याय होगा, अपितु इससे समाज में भी गलत संदेश जाएगा। अतः अभियुक्तगण को दण्डित किया जावें।

52– उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं दण्डादेश के कारकों पर विचार किया गया।

53– मुलजिमान ग्रामीण पृष्ठभूमि के कृषि पेशा व्यक्ति है तथा लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे है तथा मुलजिमान ने पूर्व में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिए जाने बाबत शपथ पत्र भी पेश किया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध में अधिकतम 03 वर्ष तक की सजा व जुर्माना अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है।

54– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय **1989 Cr.L.R. (Raj.) 65, Bhagu @ Bhagchand Vs State of Raj.** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जहां अपराध में दण्डादेश सात वर्ष से अधिक नहीं हो व अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं हो, वहां अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में दोषसिद्ध अपराध सात वर्ष से अधिक के दण्ड से दण्डनीय नहीं है। अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का एक शपथ पत्र भी दौराने बहस प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ पूर्व में नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से भी पत्रावली पर ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्तगण के पूर्व दोषसिद्ध होने का तथ्य प्रकट होता हो।

55– अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–ः दण्डादेश ः–

56– अतः अभियुक्तगण बस्तीराम पुत्र सुरजाराम, उम्र–54 साल, झणकारी पत्नी बस्तीराम, उम्र–52 साल व अनिल पुत्र बस्तीराम, उम्र–27 साल, निवासीगण मेहरबास, तहसील जायल, जिला नागौर को अपराध अंतर्गत धारा **332/34, 353/34, 336, 324/34** भारतीय दण्ड संहिता एवं **03** लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि **प्रत्येक** अभियुक्त परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत 20,000/– रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका इस न्यायालय के संतोषप्रद इस आशय का पेश कर तस्दीक करवा दे कि वह आगामी तीन वर्ष की समयावधि में परिशांति एवं सदाचरण बनाए रखेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित आएगा, तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावें। साथ ही **प्रत्येक** अभियुक्त पर धारा 5 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत **10,000/– रूपये** अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाता है।

57– अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि **प्रत्येक** अभियुक्त धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 20,000/– रूपये का स्वयं का बंध पत्र एवं इसी राशि की एक जमानत, निर्णय की दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए अथवा अपील होने की स्थिति में अपील की अवधि तक के लिए प्रस्तुत कर तस्दीक करावें।

58– प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत लाठी, गेंती व कस्सी का बाद गुजरने मियाद प्रकरण नियमानुसार निस्तारण किया जावें। प्रकरण में जब्तशुदा मेजर जीप महिन्द्रा कार RJ–21–UA–3913 सुपुर्दगी पर है उक्त वाहन सुपुर्दगीदार के पास ही रहे जिसका सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझा जावें।

59– इस घटना में मजरूब को कारित उपहति के परिणामस्वरूप कोई स्थायी विकलांगता हुई हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत मजरूब को प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंषा किया जाना न्यायोचित नहीं है।

(लक्ष्मण राम बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश, जायल
जिला नागौर

60– निर्णय एवं आदेश आज दिनांक **02.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

(लक्ष्मण राम बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश, जायल
जिला नागौर